न्यायालय उपजिलाधिकारी, मथुरा

वाद सं0 ...124...../ 2006-2007

नन्दकिशोर शर्मा बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0 व्य0 अ0

मौजा सकीतरा

आदेश

प्रार्थी नन्दकिशोर शर्मा पुत्र खेमचन्द शर्मा नि0 हाथी दरवाजा, गोर्वधन तह0 व जिला मथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित किया जाता है कि मौजा सकीतरा तह0 व जिला मथुरा की भूमि खाता सं0 271 खसरा सं0 115 रकवा 0.446 है0 भूराजस्व 8.68 रु0 व खसरा सं0 353 खसरा नं0 128 मि0 रकवा 0.810 है भूराजस्व 16.20 रु0 पर श्री गिर्राज एज्यूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी हाथी दरवाजा गोर्वधन द्वारा सचिव श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा निवासी हाथी दरवाजा गोर्वधन संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कार्यो के प्रयोग मे नही लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दि0 06.01.07 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सकीतरा तह0 व जिला मथुरा की भूमि खाता सं0 271 खसरा सं0 115 रकवा 0.446 है0 भूराजस्व 8.68 रु व खाता सं0 353 खसरा नं0 128 मि0 रकवा 0.810 है भूराजस्व 16.20 रु0 पर श्री गिर्राज एज्यूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी हाथी दरवाजा गोर्वधन द्वारा सचिव श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा निवासी हाथी दरवाजा गोर्वधन संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। यह भूमि कृषि, वागवानी, कुक्कुटपालन, मृत्स्यपालन, पशुपालन, आदि कार्यो के प्रयोग मे नही लायी जा रही है, जो कृषि भूमि की परिभाषा के अर्न्तगत आच्छादित है। उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित कोई विवाद किसी न्यायालय मे विचाराधीन नही है। यह अधिग्रहीत भूमि नही है। नजूल व ग्राम सभा की भूमि नही है। उक्त भूमि को तहसीलदार मथुरा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः शपथ पत्र एवं तहसीलदार मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दि0 06.01.07 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0 की धारा 143 के अनुसार मौजा सकीतरा तह0 व जिला मथुरा की भूमि खाता सं0 271 खसरा सं0 115 रकवा 0.446 है0 भूराजस्व 8.68 रु0 व खाता सं0 353 खसरा सं0 128 मि0 रकवा 0.810 है भूराजस्व 16.20 रु0 को कृषिक से आबादी उद्घोषित की जाती है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी तहसील मथुरा

18-01-2007

(पी.पी.अन्जोर)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

1- प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पंजीकृत कर एक प्रति उपलब्ध करायी जाये।

2- प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि अभिलेखों में इन्द्राज कराकर एक प्रति उपलब्ध करायी जाये।

18-01-2007

(पी.पी.अन्जोर)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

160

15-01-2019

18-01-2019

18-01-2019

उपजिलाधिकारी मथुरा

सत्य प्रतिलिपि

18-1-2019